

निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई०ए०एस० जिला कलक्टर, झालावाड

मिसल न० 27 / अपील 14(4)/20

तारीख दायरा: 02.07.2020

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार असनावर
बनाम

(अपीलान्ट)

बापू आ० घीसा जाति गुर्जर नि० मेहन्दी तहसील असनावर (फोट)

का०मु०

- 01/1. देवकरण आ० बापू जाति गुर्जर नि० मेहन्दी तहसील असनावर
- 01/2. सुजानसिंह आ० बापू जाति गुर्जर नि० मेहन्दी तहसील असनावर
- 01/3. हेमराज आ० बापू जाति गुर्जर नि० मेहन्दी तहसील असनावर
- 01/4. प्रेमबाई पुत्री बापूलाल पत्नी मोहनलाल जाति गुर्जर नि० गुडा तहसील असनावर
- 01/5. कब्बूबाई पुत्री बापूलाल पत्नी परमानन्द गुर्जर नि० तलवाडिया तहसील असनावर
- 01/6. पानबाई पुत्री बापूलाल पत्नी लालचन्द गुर्जर नि० सेमली तहसील झा०पाटन
- 01/7. नोदयान बाई पुत्री बापूलाल पत्नी कालूलाल गुर्जर नि० झिकडिया तहसील बकानी
- 01/8. कस्तूरीबाई पत्नी बापूलाल गुर्जर नि० मेहन्दी तहसील असनावर (रेस्प०)



अपील कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण बाबत।

उपस्थित: परोकार सरकार

—: निर्णय :-

दिनांक: 03.09.2020

यह प्रकरण तहसीलदार असनावर द्वारा राज०भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम) 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण के अपील में निवेदन किया गया है कि ग्राम मेंहदी की आराजी ख०न० 59 रकबा 0.0379 है० भूमि का आवंटन आवंटी बापूलाल आ० घीसा को दिनांक 08.12.1978 को हुआ था जो नामान्तरकरण संख्या 15 से गैर खातेदारी दर्ज हुई। आवंटित आराजी पर आवंटी या उसके वारिसान द्वारा शर्तों के अनुसार काश्त नहीं की जा रही है न ही आवंटी का मौके पर कब्जा है। आवंटी या वारिसान द्वारा काश्तकारी अधिनियम के उपबन्धों का उलघन किया है। आवंटन की शर्त 14(4) एवं 8 अ की पालना नहीं करने से आवंटन खारिज योग्य है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने से अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

तहसीलदार असनावर द्वारा अपने प्रा०पत्र की पुष्ठी में आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति, मौका रिपोर्ट दिनांक 31.10.2019, नामान्तरकरण संख्या 15 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी सं० 2074-77 खसरा गिरदावरी सं० 2070-73, 2038-41, प्रस्तुत की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्प० को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। रेस्प० बापू के फोट होने पर उसके का०मु० को तलब किया गया। दिनांक 19.08.2020 को रेस्प० 1/1 लगायत 1/3 द्वारा उपस्थित होकर उक्त आराजी क्षेत्र में आने से आवंटन निरस्त बाबत निवेदन किया गया, बाकी रेस्प० बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। दौराने सुनवाई रेस्प० के उपस्थित नहीं होने पर उनका पक्ष नहीं सुना जा सका।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। परोकार सरकार द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि बापू आ० घीसा को ग्राम मेंहदी की आराजी ख०न० 59 रकबा 0.0379 है० भूमि का आवंटन दिनांक 08.12.1978 को हुआ था जो नामान्तरकरण संख्या 15 से गैर खातेदारी दर्ज हुई। आवंटित आराजी पर आवंटी या उसके वारिसान द्वारा शर्तों के अनुसार काश्त नहीं की जा रही है न ही मौके पर कब्जा है। भूमि भीमसागर बांध के भराव क्षेत्र में आने के कारण मौके पर पानी के नीचे खूबी हुई है। आवंटी या वारिसान द्वारा काश्तकारी अधिनियम के उपबन्धों का उलघन किया है। आवंटन की शर्त 14(4) एवं 8 अ की पालना नहीं करने से आवंटन खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं बहस परोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात प्रथम तीन वर्ष में काश्त नहीं की गई और ना ही वर्तमान में काश्त की जा रही है जो कि अत्यन्त आवश्यक है। भूमि भीमसागर बांध के भराव क्षेत्र में आने के कारण मौके पर पानी के नीचे खूबी हुई है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किये जाने से ही भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में ही दर्ज है। उपरोक्तानुसार तहसीलदार असनावर द्वारा प्रस्तुत अपील कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत आवंटन निरस्तीकरण स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार असनावर द्वारा प्रस्तुत अपील 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम मेंहदी की आराजी ख०न० 59 रकबा 0.0379 है० भूमि का आवंटन दिनांक 08.12.1978 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी को किया गया था उक्त आवंटन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार असनावर को भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लोटाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड